

हिन्दुस्तान, वाराणसी. पृ० सं० ५

दिनांक : 28-5-19

रिटायर डीरेकाकर्मियों के कैशलेस इलाज को सेल

वाराणसी। सेवानिवृत्त डीरेकाकर्मियों के लिए सीएसटीई यानी कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम इन इमरजेंसी सुविधा के लिए सेल का गठन किया गया है। 29 मई को कार्मिक कार्यालय स्थित अन्तिम निपटारा अनुभाग में दोपहर तीन बजे से कार्य शुरू होगा। सेवानिवृत्त डीरेका कर्मी निर्धारित राशि का बैंक ड्राफ्ट जमा कर सीएसटीई कार्ड जारी करवा सकते

हैं। 19,540 रुपये और उससे अधिक मूल पेंशन पाने वाले कर्मचारियों के लिए प्रति परिवार रजिस्ट्रेशन फीस ,000 निर्धारित की गयी है। 13,960 से 19,540 रुपये तक मूल पेंशन वाले कर्मचारियों को 15,000 और 13,960 से नीचे के मूल पेंशन वाले कर्मचारियों को 6,000 जमा करना है।

दिनांक: 28-5-19

कैशलेस ट्रीटमेंट को डीरेका में सेल का गठन

जास, वाराणसी : रेलवे बोर्ड के निर्देश पर डीरेका प्रशासन ने अपने कर्मचारियों के लिए कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम के तहत विशेष सेल का गठन किया है।

29 मई से जीएम कार्यालय में कार्य निस्तारण के लिए सेल

अपना कामकाज शुरू कर देगा। इसमें जो रिटायर्ड रेल कर्मी भाग लेना चाहते हैं वे भी निर्धारित शुल्क देकर सुविधा का फायदा ले सकते हैं।



दिनांक: 28-5-19

डीरेका में सीटीएसई के तहत सेल का गठन

वाराणसी। डीजल रेल इंजन कारखाना में सेवानिवृत्त डीरेकाकर्मियों के लिए सीटीएसई (कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम इन इमरजेंसी) के तहत सेल का गठन किया गया है। इसको लेकर कार्ड से संबंधित कार्य 29 मई को महाप्रबंधक कार्मिक कार्यालय स्थित अंतिम निपटारा अनुभाग में दोपहर बाद तीन बजे से प्रारंभ किया जाएगा।

कार्ड धारक सेवानिवृत्त डीरेकाकर्मियों जो कैशलेस स्कीम में सम्मिलित होना चाहते हैं, वे सभी निर्धारित राशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा कर कार्ड जारी करवा सकते हैं। ब्यूरो

The Pioneer, Lucknow, P. No. 3

DI. 28-5-19

Cell set up under CTSE for retired DLW employees

* VARANASI: A cell has been constituted under the Cashless Treatment Scheme in Emergency (CTSE) for the retired employees of Diesel Locomotive Works (DLW) as per the orders of the Railways Board (RB). In this direction, the last settlement section relating to cards will be started on May 29 at 3 pm at General Manager (Personnel) office.

The interested eligible Retired Employees Liberalised Health Scheme (RELHS) card holding retired DLW employees who are willing to join this cashless treatment scheme should deposited the required money through bank draft and get their cards. According to a press release of DLW, ₹30,000 is fixed for each member of a family of retired employee who was getting ₹ 19,540 and more original pension for getting CTSE registration, while Rs 15,000 should be deposited for those getting original pension between ₹13,960 and ₹19,540 and ₹ 6,000 for those getting less than ₹ 13,960 original pension. They should only deposit the required money through bank drafts from any a nationalised bank only.

In this direction, the interested person should reach settlement section at GM (Personnel) office along with RELHS card, Aadhar card, PPO copy and other documents apart from a passport size picture.

If there is any dependent of retired employee his photo is also required along with details and additional of ₹200. The cell will remain open on May 29 between 3 pm and 4.45 pm.